भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3902

(11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

वीबी-जी राम जी के तहत विकास योजना

3902. श्री अक्षय यादव:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्ववर्ती मांग-आधारित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मॉडल के स्थान पर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन-ग्रामीण (वीबी-जी राम जी) अधिनियम के तहत अधिदेशित वैज्ञानिक, योजना-आधारित कार्य-आवंटन प्रक्रिया को अपनाने के लिए फिरोजाबाद जिले की ग्राम पंचायतों को सक्षम बनाने हेतु कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) उत्तर प्रदेश में वीबी-जी राम जी की योजना संबंधी आवश्यकताओं के साथ ग्राम पंचायत विकास योजना के एकीकरण की स्थिति क्या है;
(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए पंचायतों को अतिरिक्त जनशक्ति या तकनीकी सहायता प्रदान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या 15वें वित्त आयोग के तहत उत्तर प्रदेश की पंचायतों को हस्तांतरित निधियों का उपयोग नए ग्रामीण रोजगार ढांचे से संबंधित क्षमता निर्माण के लिए किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) वीबी-जी राम जी के योजना-आधारित मॉडल को लागू करने हेतु ग्राम पंचायत की क्षमता निर्माण के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ड): विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी के अंतर्गत, जो 1 जुलाई, 2026 से लागू हुआ है, इसके लागू होने से पूर्व क्षेत्र स्तर पर

सुचारू कार्यान्वयन को सुगम बनाने हेतु क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। उत्तर प्रदेश में, योजना के कार्यान्वयन से जुड़े क्षेत्र स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, जिनमें उप आयुक्त, कार्यक्रम अधिकारी एवं तकनीकी सहायक जैसे विभिन्न स्तरों के अधिकारी शामिल हैं, को दिनांक 1 जून, 2026 से 30 जून, 2026 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) के सहयोग से राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी) में आयोजित एक कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। यह योजना फिरोजाबाद जिले सहित उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी रूप से लागू की गई है।

(ख): उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) के निर्माण की प्रक्रिया अभी शुरू होनी बाकी है। तदनुसार, जीपीडीपी के साथ वीबी-जी राम जी योजना संबंधी आवश्यकताओं के एकीकरण की स्थिति वर्तमान में उपलब्ध नहीं है।

(ग): वीबी-जी राम जी के अंतर्गत प्रशासनिक घटक हेतु व्यय को महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत अनुमत 6% की तुलना में बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। तथापि, अतिरिक्त श्रमबल की नियुक्ति संबंधी कोई भी निर्णय संबंधित राज्य द्वारा क्षेत्र स्तर की आवश्यकताओं एवं संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर लिया जाना है।

(घ): पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा 2020-21 से 2025-26 तक की अवधि हेतु 47,764 करोड़ रुपये के अनुदान ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु उत्तर प्रदेश राज्य को जारी किए गए। इनमें दो घटक शामिल थे, अर्थात मूल शर्तमुक्त अनुदान एवं सशर्त अनुदान। मूल शर्तमुक्त अनुदान का उपयोग ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित 29 विषयों के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों हेतु किया जाना था। सशर्त अनुदान स्वच्छता एवं खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति के रखरखाव के साथ-साथ पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन एवं जल पुनर्चक्रण हेतु था।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, वीबी-जी राम जी के पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण पर व्यय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान द्वारा राज्य ग्रामीण विकास संस्थान को प्रदान की गई निधि से किया गया है।